राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः– एफ. 11(7)(8)मो./आईसीडीएस/09/ 6021-25   जयपुर, दिनांकः 17-4-18

<u>आदेश</u>

प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक प.3(8)प्र.सु./टाईम्स/2013 दिनांक 24.12.2013 के अनुसरण में विभागीय आदेश संख्या 29437 दिनांक 21.04.2015 द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएँ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आगंनबाड़ी केंन्द्रों, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं उप निदेशक कार्यालयों के भ्रमण/निरीक्षण, रात्रि विश्राम के वार्षिक मापदण्ड़ तय किये हुए है।

प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 08.04.2015 के द्वारा शासन मे पारदर्शिता की दृष्टि से अधिकारियो के दौरे, निरीक्षण रात्रि विश्राम इत्यादि का विवरण तथा निरीक्षण रिपोर्ट राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स में अपलोड करने के निर्देश दिये गये है। उसी आदेश के निरन्तरता में यह अनिवार्य किया गया है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स पर एक अप्रेल 2017 से सभी विभागीय अधिकारी जिनके लक्ष्य निर्धारित हैं, उनके लक्ष्य अंकित करना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात् ही दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम की क्रियान्विति अंकित की जा सकेगी।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु **वित्तीय वर्ष 2018–19** के लिए निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये जाते है।

1. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर एवं उप **निदेशक, *मुख्यालय तत्काल राजस्थान सम्पर्क*** पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए State Level के लिए विभागीय आदेश दिनांक 27.07.17 में वर्णित राज्य स्तर पर जिला प्रभारी अधिकारीयों के पदनाम (12) तथा District Level के लिए समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग मय जिला का नाम (33) [Example: Deputy Director, Woman And Child Development, Jaipur)] एवं Block Level के लिए समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी मय ब्लॉक का नाम व जिला (304) [Example: Child Development Project Officer, Phagi (Jaipur)] दर्ज करें।

   उक्त कार्यवाही के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 की भांति विभागीय आदेश संख्या 29437 दिनांक 21.04.2015 के अनुसार राज्य स्तरीय, उप निदेशक तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के भ्रमण, निरीक्षण, रात्रि विश्राम के निर्धारित वार्षिक मापदण्ड़ (Target) को उनके सम्मुख अंकित करें।

2. सभी जिला प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय एवं उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी तत्काल उनके द्वारा किये गये भ्रमण, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम इत्यादि की सूचनाएं मय निरीक्षण रिपोर्ट नियत समय पर राज सम्पर्क ट्यूर मॉडूल्स में अपनी आई.डी. में फीड़ करना सुनिश्चित करेंगे।

3. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अपने अधिनस्थ ब्लॉक स्तरीय अधिकारीयों द्वारा किये गये भ्रमण, निरीक्षण, रात्रि विश्राम की जानकारी नियत समय पर राज सम्पर्क ट्यूर मॉडूल्स में उनकी आई.डी. में फीड़ करना भी सुनिश्चित करेंगे। नियत समय पर अपलोड नही करने वाले अधिकारी के विरूद्ध तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव मय अपनी टिप्पणी के साथ मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
4. राज सम्पर्क ट्यूर मॉडूल्स में प्रकरण दर्ज करने में आ रहीं कठिनाई के निवारण के लिए सीधे ही एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर एवं उप निदेशक, मुख्यालय से (Email:-acp.wcd@rajasthan.gov.in & Phone-0141-2713622) पर सम्पर्क किया जावें।

(शुचि शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– एफ. 11(7)(8)मो./आईसीडीएस/09/ 60224-042 जयपुर, दिनांकः 17-4-18

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
2. निदेशक, पब्लिक सर्विसेज, प्रशासनिक सुधार (टाईम्स) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेंवाएँ राजस्थान जयपुर
4. संबंधित अधिकारीगण/समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
5. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग / CDPO's.
6. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर एवं उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए राज सम्पर्क ट्यूर मॉडूल्स में नाम मय टॉरगेट दर्ज करने तथा टेक्नीकल स्पोर्ट एवं मोनेटरिंग हेतु।
7. आदेश पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।